



डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा  
समस्तीपुर- 848 125 (बिहार)

किसान मेला, 2022

12 - 14 मार्च, 2022

विषय - कृषि अपशिष्ट के मुद्दीकरण द्वारा उद्यमिता विकास

किसान मेला में स्टॉल आवंटन हेतु आवेदन

संस्था का नाम.....

संस्था प्रमुख का सम्पर्क सूत्र श्री/श्रीमती/डॉ .....  
पत्राचार का पता.....

.....नगर.....राज्य.....पिन कोड

.....फोन (का.) .....(आ.) .....फैक्स .....

.....मोबाईल ..... ई-मेल .....

.....आवश्यक स्टाल की संख्या .....

.....प्रदर्शो का विवरण.....

.....अन्य कोई सूचना (जो आवेदक देना चाहते हैं) .....

.....भुगतान का विवरण .....

.....विवरण .....दिनांक.....

.....दिनांक .....

.....हस्ताक्षर एवं संस्था की मुहर .....

.....नोट 1. किसान मेला -2022 में स्टॉल आवंटन हेतु राशि 8000.00 (रूपये आठ हजार) मात्र खाता-“Kisan Mela –  
RPCAU, Pusa” के नाम पंजाब नेशनल बैंक, डा0रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा A/c No. – 4512000100027244  
(IFSC Code : PUNB0451200) को नगद/चेक/डिमान्ड डॉपट/UPI से भुगतान किया जा सकता है।

.....नोट 2. राशि भुगतान करने के पश्चात् ई-मेल : [dee@rpcau.ac.in](mailto:dee@rpcau.ac.in) पर कृप्या सुचित करें।

सम्पर्क सूत्र :

डॉ. एम. एस. कुण्डु

निदेशक प्रसार शिक्षा

रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा (समस्तीपुर) 848 125

टेलीफैक्स : 0627-240251 मो0- 9474290668

ई-मेल : [dee@rpcau.ac.in](mailto:dee@rpcau.ac.in)

डा0 पुष्पा सिंह

उपनिदेशक प्रसार-I

किसान मेला-2022, आयोजन सचिव

रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा

मो0- 9430560507

ई-मेल : [pushpa@rpcau.ac.in](mailto:pushpa@rpcau.ac.in)

### प्रदर्शनी के नियम एवं शर्तें

- मेला में प्रदर्शनी की नुमाईश तीन दिनों की होगी।
- प्रदर्शक अपने स्टॉल पर 12 मार्च, 2022 से ही काबिज हो सकते हैं, एवं उन्हें 14 मार्च, 2022 को सायं 5:00 बजे तक अपने प्रदर्शित सामग्री मेला से हटा लेनी होगी।
- प्रदर्शकों को अपने प्रदर्शित सामग्रियों को मेले के समापन तक रखना अनिवार्य है।
- प्रदर्शनी के हर स्टॉल पर आवश्यक फर्नीचर, बिजली की उपलब्धता एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रदर्शकों को स्टॉल की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी।
- प्रदर्शनी स्थल पर वाहन का संचालन मेले में पूरी तरह से वर्जित होगा। वाहनों को विहित स्थल पर पार्क करने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा मुहैया करायी जायेगी।
- किसी भी प्रकार का बैनर एवं पोस्टर विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर चिपकाना अवैध है। इसके लिए निर्धारित स्थान किराये पर उपलब्ध है जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्पर्क किया जा सकता है।
- प्रदर्शनी परिसर में किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ का निर्माण एवं विपणन वर्जित है। यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा रात एवं दिन में सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया गया है फिर भी किसी आकस्मिक दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा द्वारा हुए जन-धन की हानि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रदर्शकों से अनुरोध है कि वे अन्य विहित नियमों एवं शर्तों का दृढ़तापूर्णक पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रदर्शनी परिसर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु सभी का उत्तरदायित्व एवं सहयोग अपेक्षित है।
- प्रदर्शनी परिसर पूर्ण रूपेण तम्बाकू/धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र होगा।
- प्रदर्शनी परिसर पूर्ण रूपेण Single Use Plastic निषिद्ध क्षेत्र होगा।

हस्ताक्षर :

आवेदक का पूरा नाम :